

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231227
CG-DL-E-18112021-231227

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]
No. 577]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

शुद्धिपत्र-2

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2021

सं.11012/248/2015-प्रशा.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11012/248/2015-प्रशा. में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वित्त संवर्ग [उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), सहायक प्रबंधक(वित्त एवं लेखा) एवं लेखाकार] से संबधित (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2021 जो 04 मार्च, 2021 को प्रकाशित हुए थे तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खंड-4 में दिनांक: 25 मार्च, 2021 को प्रकाशित शुद्धिपत्र द्वारा यथासंशोधित में निम्नलिखित पदों की अनुसूची के कॉलम-(7) तथा/अथवा (11) में उल्लिखित शब्दों “प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार” को “लागत तथा प्रबंधन लेखाकार” पढ़ा जाए:-

उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
लेखाकार

2. उक्त अधिसूचना की अन्य विषय-वस्तु यथावत् रहेंगी।

आर. के. पांडे, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन./III/4/असा./442 /2021-22]

पाद टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक: 04 मार्च, 2021 को अधिसूचना सं.एनएचएआई/11012/248/2015-प्रशा. दिनांक: 04 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस शुद्धिपत्र की अधिसूचना से पहले किसी भी कृत अथवा करने के लिए विलोपित पर इस शुद्धिपत्र के प्रख्यापन का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

CORRIGENDUM-2

New Delhi, the 17th November, 2021

No.11012/248/2015-Admn.—In the National Highways Authority of India, Notification No.NHAI/ 11012/248/2015-Admn., pertaining to National Highway Authority of India, Finance Cadre [For posts of Deputy General Manager (Finance and Accounts), Manager (Finance and Accounts), Deputy Manager (Finance and Accounts), Assistant Manager (Finance and Accounts) and Accountant] (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2021 published on 04th March, 2021, modified vide Corrigendum published on 25th March, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, the words mentioned in Column(s) - (7) and/or (11) of the Schedule of the following posts “**Certified Management Accountant**” may be read as “**Cost and Management Accountant**” : -

Deputy General Manager (Finance and Accounts)

Manager (Finance and Accounts)

Deputy Manager (Finance and Accounts)

Assistant Manager (Finance and Accounts)

Accountant

2. Other contents of the said Notification shall remain unchanged.

R. K. PANDEY, Member (Administration)

[ADVT./III/4/Exty./442/2021-22]

Foot Note: The principal regulation was published vide notification No.NHAI/ 11012/248/2015-Admn. dated 04th March 2021 in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, dated 04th March 2021.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Anything done or omitted to be done prior to notification of this corrigenda shall not be affected by promulgation of this corrigendum.